GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

NOTIFICATION

Jaipur, February 24, 2021

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.4(3)FD/Tax/2017-123 dated 08.03.2017, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable in excess of rupees ten thousand on the instrument relating to conversion of partnership firm, private limited company or unlisted public limited company into limited liability partnership or *vice versa* shall be remitted.

[No.4(2)FD/Tax/2021-286] By order of the Governor,

(Tina Dabi)

Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (कर अनुभाग) अधिसूचना जयपुर, फरवरी 24, 2021

- - -

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2017-123 दिनांक 08.03.2017 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के सीमित दायित्व भागीदारी में या विपर्ययेन संपरिवर्तन से संबंधित लिखत पर दस हजार रुपये से अधिक प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का परिहार किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2021-286] राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)

संयुक्त शासन सचिव